

## गौण खनिज (MINOR MINERALS)

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 राज्य में प्रवृत्त है । छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के अन्तर्गत उत्खनिपट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है । छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के अन्तर्गत उत्खनिपट्टा, उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र गौण खनिजों पर रायल्टी की दरें, उत्खनन पट्टे पर लगाने वाले अनिवार्य भाटक आदि का विवरण दिया गया है ।